



Neutral Citation No - 2026:AHC:28582

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2026 की 1879

पवन कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

मुख्य वन संरक्षक - प्रशासन अराजपत्रित, लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अर्चना श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सतेन्द्र कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सतेन्द्र कुमार सिंह को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर उन्हें दिन के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को पक्षकार के रूप में पक्षसंयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. रिट याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि उसने वन रक्षक के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली चयन प्रक्रिया के अनुसरण में आवेदन किया था और याचिकाकर्ता ने 14.03.2019 को आयोजित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 25.03.2019 को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ और तत्पश्चात् संसूचन दिनांकित 15.01.2020 के माध्यम से अंतिम चयन के संबंध में रिट याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया। तत्पश्चात् द्वितीय प्रतिवादी, प्रभागीय वन अधिकारी, पीलीभीत व्याघ्र आरक्षिति, पीलीभीत ने 23.01.2020 को नियुक्ति आदेश निर्गत किया और रिट याचिकाकर्ता ने 29.01.2020 को पद पर कार्यभार ग्रहण किया। रिट याचिकाकर्ता को तत्पश्चात् वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और प्रशिक्षण पूर्ण होने पर रिट याचिकाकर्ता को एक प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया तथा 09.07.2020 को एक नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया गया। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे एक विशेष प्रशंसा प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया और 10.02.2022 को उसे स्थायीकृत किया गया। रिट याचिकाकर्ता का यह भी पक्ष है कि उसने राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिष्ठान में कनिष्ठ लिपिक के 131 पदों के विज्ञापन संख्या 2019 का 4 दिनांकित 05.06.2023 के लिए भी आवेदन किया था। रिट याचिकाकर्ता का चयन हुआ और तृतीय प्रतिवादी, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ द्वारा रुपये 21700-69100 (स्तर-III) के वेतन-बैंड में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति-पत्र जारी किया गया। रिट याचिकाकर्ता का यह भी पक्ष है कि 06.09.2023 को द्वितीय प्रतिवादी ने वन रक्षक के पद से रिट याचिकाकर्ता का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 4 के कार्यालय से वेतन प्राप्त कर रहा है। रिट याचिकाकर्ता को चतुर्थ प्रतिवादी द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर वेतन संदत्त किया गया। रिट याचिकाकर्ता की व्यथा यह है कि अब वह प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिष्ठान में प्रत्यावर्तित किए जाने की प्रार्थना करता है जहाँ वह वन रक्षक के रूप में कार्यरत था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, पत्र दिनांकित 18.11.2025 के अनुसरण में अंतिम निर्णय लिया जाना है।

4. वर्तमान रिट याचिका में इस संबंध में विनिश्चय हेतु निर्देशित करने की याचना की गई है।

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथमतः प्रतिवादी संख्या 1, मुख्य वन संरक्षक-प्रशासन (अराजपत्रित), लखनऊ द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना अपेक्षित है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. न्यायालय के समक्ष किए गए उक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को यह निर्देशित करते हुए रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है कि वे रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 1, मुख्य वन संरक्षक-प्रशासन (अराजपत्रित), लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करें, जो उक्त आवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि अनुसार कड़ाई से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने हेतु अग्रसर होंगे।

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विद्वान् बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"